

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1]	दिल्ली, मई 3—मई 9, 2013, बृहस्पतिवार/वैशाख 13—वैशाख 19, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 27
No. 1]	DELHI, MAY 3—MAY 9, 2013, THURSDAY/VAISAKHA 13—VAISAKHA 19, 1935	N.C.T.D. No. 27

भाग III—खण्ड-1 PART III—Section-1

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

आदेश संख्या 2/2013

दिल्ली, 2 मई, 2013

(इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं)

सं. फा. 6(168)/आई टी/त./2012/2450-56.— “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता), नियमावली, 2012” दिनांक 14-12-2012 को अधिसूचित की गई थी। उक्त नियमों के नियम 4(1) के अधीन नियम 2(1) में यथापरिभाषित सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित कार्यवाई करनी अपेक्षित है :—

- क. विभाग, एजेंसी या निकाय की सार्वजनिक सेवा को अधिसूचित करना जो इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेंगे;
- ख. वह तिथि अधिसूचित करना जिसके द्वारा प्रत्येक ऐसी सेवा इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी;
- ग. सेवा स्तरों के रूप में निपुणता, गुणवत्ता तथा परिशुद्धता के लिये मानदंड निर्धारित करना; तथा
- घ. इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक ऐसी सेवा को प्रदान करने के लिये पदनामित अधिकारियों को अधिसूचित करना।
2. इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पत्र सं 6(168)/आईटी/त./2012/6080—6279 दिनांक 18-12-2012 परिचालित कर चुका है तथा पत्र संख्या 6(168)/आईटी/त./2012/945-64 दिनांक 6-2-2013 के अनुसार अनुस्मारक जारी किया गया।
3. कुछ विभागों का कथन है कि उनके विभागों द्वारा कोई सेवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान नहीं की जा सकती। व्यापार एवं कर विभाग की निम्नलिखित सेवाएं इलैक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जायेंगी :—

- (i) रिटर्न फाईल करना
 - (ii) केन्द्रीय फार्म डाउनलोड करना
 - (iii) केन्द्रीय फार्म प्रस्तुत करना
 - (iv) स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना
 - (v) बेमेल रिपोर्ट देखना
 - (vi) निर्धारण आदेश देखना
 - (vii) डी-वैट पोर्टल के माध्यम से करों का भुगतान
- यद्यपि बहुत से विभागों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

4. मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा की नियम 24 के अनुसरण में मुख्य सचिव निदेश देते हैं कि नीचे तालिका में यथाउल्लिखित तिथियों से नियमों के अनुसरण में निम्नलिखित सेवाएं इलैक्ट्रॉनिकली प्रदान की जायेंगी :-

क्र.सं.	सेवा का नाम	विभाग/कार्यालय/संगठन	क्रियान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राशन कार्ड जारी करना	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1-6-2013
2.	डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करना		1-6-2013
3.	राशन कार्ड वापिस करना		1-6-2013
4.	राशन कार्ड में से सदस्यों का नाम हटाना		1-6-2013
5.	परिवार के मुखिया में परिवर्तन		1-6-2013
6.	सर्कल के भीतर राशन कार्ड का अन्तरण		1-6-2013
7.	अन्तः सर्कल राशन कार्ड का अन्तरण		1-6-2013
8.	अंतर्जिला राशन कार्ड का अन्तरण		1-6-2013
9.	राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना		1-6-2013
10.	आवेदन को प्रवेश कार्ड (कॉल लैटर) जारी करना	डीएसएसएसबी	1-6-2013
11.	प्रत्याशियों के लिए आवेदन पत्र तैयार करना		1-6-2013
12.	कर निर्धारण आदेश पर आपत्तियां जमा करना	व्यापार एवं कर विभाग	1-7-2013
13.	फार्म डी वैट 21 (वापसी दावा) जमा करना		1-7-2013
14.	पंजीकरण में संशोधन हेतु डी वैट-7 फार्म जमा करना		1-7-2013
15.	पंजीकरण को रद्द करने हेतु डी वैट-9 फार्म जमा करना		1-7-2013
16.	समीक्षा आवेदन जमा करना		1-7-2013
17.	त्रुटिशोधन का आवेदन जमा करना		1-7-2013
18.	फार्म डी-वैट 23 जमा करना (राजनयिक मिशन द्वारा प्रयोग किए जाने वाला फार्म)		1-7-2013
19.	जन्म आदेश प्रदान करना	राजस्व विभाग	1-7-2013
20.	मृत्यु आदेश प्रदान करना		1-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना	राजस्व विभाग	1-7-2013
22.	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
23.	अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
24.	राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
25.	आय प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
26.	ऋण शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
27.	जीवित सदस्यों हेतु जारी करना		1-7-2013
28.	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना		1-7-2013
29.	विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण		1-7-2013
30.	हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण		1-7-2013
31.	लाल डोरा प्रमाण पत्र जारी करना		1-10-2013
32.	आरओआर जारी करना		1-10-2013

5. समस्त समक्ष अधिकारियों से अनुरोध है कि वे नियमावली में यथापेक्षित आगे आवश्यक कार्य करें

राजेन्द्र, सचिव (आईटी)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

ORDER NO. 2/2013

Delhi, the 2nd May, 2013

(SERVICES TO BE DELIVERED THROUGH ELECTRONIC MODE)

No. F. 6(168)/IT/Tech/2012/2450-56.— “National Capital Territory of Delhi Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2012” were notified on 14-12-2012. Under Rule 4(1) of the above rules, the Competent Authorities as defined in Rule 2 (1) were required to take following actions:—

(a). Notify the public services of the department, agency or body which can be delivered through electronic mode;

(b). Notify the date by which each such services shall be made available through electronic mode;

(c) Lay down the norms for efficiency, quality and accuracy in the form of service levels; and

(d) Notify the designated officers for delivery of each such service through electronic mode.

2. IT Department had circulated letter No. F. 6(168)/IT/Tech/2012/6080-6279 dated 18-12-2012 in this regard and a reminder was issued vide Letter No. F. 6(168)/IT/Tech/2012/945-64 dated 6-2-2013.

3. Some departments have stated that no service of their department can be delivered electronically. The following services of Department of Trade and Taxes have been considered as being delivered under Electronic Service Delivery Rules:—

(i) Return Filing

(ii) Central Form Downloading

(iii) Central Form Submission

(iv) Stock Details Submission

- (v) Mismatch Report View
- (vi) Assessment Order View
- (vii) Payment of Taxes through DVAT Portal

However, many departments have not taken any action.

4. The Chief Secretary has reviewed the same. In pursuance of Rule 24, the Chief Secretary is pleased to direct that the following services shall be delivered electronically in accordance with the rules from the dates as mentioned in the table below:—

S. No.	Name of the Service	Department/Office/Organization	Date to be implemented
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Issuance of Ration Card	Food Supplied & Consumer Affairs	1-6-2013
2.	Issuance of Duplicate Ration Card		1-6-2013
3.	Surrender of Ration Card		1-6-2013
4.	Deletion of Members in the Ration Card		1-6-2013
5.	Change in Head of Family		1-6-2013
6.	Transfer of Ration Card within Circle		1-6-2013
7.	Transfer of Ration Card (inter circle)		1-6-2013
8.	Transfer of Ration Card (inter district)		1-6-2013
9.	Addition of Members in the Ration Card		1-6-2013
10.	Issuance of Admit Cards (Call Letter) of the applicants	DSSSB	1-6-2013
11.	Application Form generation for candidates		1-6-2013
12.	Filing of Objection to Assessment Order	Department of Trade and Taxes	1-7-2013
13.	Filing of Form DVAT 21 (refund claim)		1-7-2013
14.	Filing of Form DVAT-7 for amendment in registration		1-7-2013
15.	Filing of Form DVAT-9 for Cancellation of registration		1-7-2013
16.	Filing of Review Application		1-7-2013
17.	Filing of Rectification Application		1-7-2013
18.	Filing of Form DVAT-23 (Tax refund form to be used by Diplomatic Missions)		1-7-2013
19.	Issuance of Birth Order	Revenue Department	1-7-2013
20.	Issuance of Death Order		1-7-2013
21.	Issuance of SC/ST Certificate		1-7-2013
22.	Issuance of OBC Certificate		1-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Issuance of Domicile Certificate	Revenue Department	1-7-2013
24.	Issuance of Nationality Certificate		1-7-2013
25.	Issuance of Income Certificate		1-7-2013
26.	Issuance of Solvency Certificate		1-7-2013
27.	Issuance of Surviving Members		1-7-2013
28.	Issuance of Handicapped Certificates		1-7-2013
29.	Registration under Special Marriage Act		1-7-2013
30.	Registration under Hindu Marriage Act		1-7-2013
31.	Issuance of Laldora Certificates		1-10-2013
32.	Issuance of RoR		1-10-2013

5. All Competent Authorities are requested to take further necessary action as required under the Rules.

RAJENDRA, Secy. (IT)

1880 25/13-2